



# कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर

फोन नंबर 0771 - 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in;

Website: www.cgmfpfed.org

## संशोधन क्रमांक - 03 दिनांक 20.12.2021

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 तेन्दू पत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2022)-I दिनांक 08.11.2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. अनुसूची 'ख' फड़ों की सूची में से निम्न फड़ को जोड़ा जाता है ।

संग्रहण वर्ष	लॉट क्रमांक	कॉलम क्रमांक	मुद्रित प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि	भाषा
1	2	3	4	5	6
2022	63-ब	5	-	चेरपाल (Cherpal), तुमरीगुण्डा (Tumringunda)	हिन्दी एवं अंग्रेजी
		4	8	10	

2. क्रेता करारनामा परिशिष्ट-IV की शर्त क्रमांक 15 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

वर्तमान कंडिका 15 - क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन	संशोधित कंडिका 15 - क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन
क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।	(अ) क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किए जाने से प्रविरत रहेगा । (ब) क्रेता जैवविविधता अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ जैवविविधता नियम, 2015 के अधीन किये जाने वाले समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा।
<b>Present Clause 15 - Performance of Duties ETC. by Purchaser</b>	<b>Revised Clause 15 - Performance of Duties ETC. by Purchaser</b>
The purchaser shall perform all acts and duties required to be done by him and shall abstain from doing by himself or by his servants and agents any act prohibited by/or under the provisions of the said Adhinyam, and the said Niyamavali in so far as they are not inconsistent in the context of this agreement.	(a). The purchaser shall perform all acts and duties required to be done by him and shall abstain from doing by himself or by his servants and agents any act prohibited by/or under the provisions of the said Adhinyam, and the said Niyamavali in so far as they are not inconsistent in the context of this agreement. (b). Purchaser shall perform all acts and duties required to be done by him under the provisions of Biodiversity Act, 2002 and Chhattisgarh Biological Diversity Rules, 2015.


अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर



**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:**

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, (छत्तीसगढ़)। उक्त संशोधन संघ के वेबसाईट [www.cgmfpfed.org](http://www.cgmfpfed.org) में अपलोड की गई है। संशोधन की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। कृपया अपने अधीनस्थ प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों को भी निर्देशित करें कि वेबसाईट से संशोधन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय उपयोग हेतु प्राप्त करें।
2. समस्त प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. छत्तीसगढ़।
3. कम्प्यूटर कक्ष, संघ मुख्यालय रायपुर, संघ के वेबसाईट पर अपलोड करें।



अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)  
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर